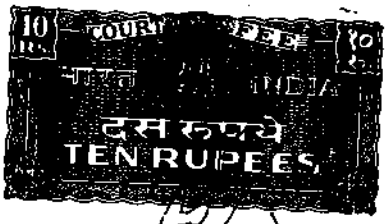

10 COURT FEE 10
भारत INDIA
दस रुपये
TEN RUPEES

5 COURT FEE 5
भारत INDIA
पाँच रुपये
FIVE RUPEES

3

न्यायालयमाननीय राजस्वमण्डल, म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 1689-I /2005 निगरानी

प्रह्लाद पुत्र श्री बुलुआ, निवासी ग्राम ठकुरपुरा, तहसील व जिला शिवपुरी म०प्र० -- प्रार्थी

विरुद्ध

१। स्वरूप चंद्र पुत्र श्री किशोरीलाल जैन

२। नरेन्द्रकुमार पुत्र श्री स्वरूपचंद जैन

३। निवासीगण राजेश्वरी रोड, तहसील व जिला शिवपुरी, म०प्र०

३। डा० सुरेशचन्द्र रावतपुत्र श्री फूलचंद्र रावत

४। श्रीमती पूनम पत्नी डा० सुरेशचन्द्र रावत

५। मास्टर कुश पुत्र डा० सुरेशचन्द्र रावत नाबालिग वसरपरस्त डा० सुरेशचन्द्र रावत

निवासीगण ६६-ए ब्लॉक गोयल नगर, ६ बंगला यूनिट, टैलीफोन चौराहा के पास इन्दौर, म०प्र०

६। रामसिंह फौत वारिस

रानी पत्नी श्री रामसिंह

७। नब्बू

८। परवत सिंह

९। लक्ष्मी अवयस्क कुंदाक पत्नी रामसिंह माई सुव, निवासीगण ग्वालटोली ((मटटा) फांसी, उ०प्र०

१०। शांतिलाल पुत्र श्री बंशी जाटव

११। देवीसिंह पुत्र प्रभु जाटव,

---- २

श्री .... द्वारा आज दि० .... को प्रस्तुत।

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

- 5 OCT 2005

स्पो०

गे संहिता
पुरी के प्र०
01 के विरुद्ध

//2//

निवासीगण ठकुरपुरा, तहसील व
जिला शिवपुरी, म०प्र०
१२। कल्ला पुत्र श्री बृजलाल
१३। रामकली पुत्री बृजलाल निवासीगण
ग्राम ठकुरपुरा, तहसील व जिला
शिवपुरी, म०प्र०

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय, ग्वालियर संभाग ग्वालियर दिनांक १२-६-०५ अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू राजस्व संहिता, १९५९। प्रकरण क्रमांक ३१०।२०००-२००१ अपील।

- -

श्रीमान,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

(१) यहकि अधीनस्थ न्यायालयों की आज्ञाये कानूनन सही नहीं० हैं

(२) यहकि अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण के स्वरूप एवम् कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा।

(३) यहकि तहसील न्यायालय में धारा ११० के प्रावधानों एवम् इसके अधीन बने नियमों का पालन किये बिना, बिना जांच के कार्यवाही की गई है। ऐसी कार्यवाही अधिकार रहित होने से शून्य एवम् निष्प्रभावी है। साथ ही नामान्तरण की आज्ञा न्यायालय को धोखा देकर कपटपूर्ण प्राप्त की गई है ऐसी आज्ञा का किसी भी स्थिति में स्थिर नहीं रखा जा सकता।

(४) यहकि प्रार्थी के पिता बलुआ के ३ पुत्र काशीराम, बृजलाल एवम् प्रार्थी स्वयं था। रामसिंह मृतक बलुआ का पुत्र न होकर रतना का पुत्र है किन्तु षड्यंत्रपूर्वक उसने बलुआ के वारसानों में अपना नाम जुड़वा लिया है और इस नामान्तरण की कोई सूचना निगरानीकर्ता को कभी नहीं हुई जबकि नियम २७ के अधीन ऐसी सूचना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय में निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र मात्र का गलत धारा के उल्लेख के कारण निरस्त किये जाने में भूल हुई है।

---- ३

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 1689–एक/2005 जिला –शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27–7–2016	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0के0 अवस्थी उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 310/2000–01/अपील में पारित आदेश दिनांक 12.09.2005 के विरूद्ध इस न्यायालय में मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। 2/ प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक प्रहलाद पुत्र बलुआ जाटव निवासी ठाकुरपुरा ने धारा 115 एवं 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के तहत आवेदन पत्र पेश कर ग्राम बछौरा स्थित विवादित भूमि इन्साज पुरस्ती हेतु प्रस्तुत किया तहसील न्यायालय शिवपुरी द्वारा अपने प्र0 क्र0 31/93–94/अ–6–अ में पारित आदेश दिनांक 07.06.96 के द्वारा आवेदक प्रहलाद का आवेदन अस्वीकार किया गया । इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी के आदेश दिनांक 14.03.2001 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से परिवेदित होकर अपर आयुक्त ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त ग्वालियर द्वारा आदेश पारित कर दिनांक 12.09.2005 को अपील स्वीकार कर ली गई । इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 3/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह बताया है कि आवेदक आलोच्य भूमि पर अपने पूर्वजों के समय से अधिपत्यधारी है । तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा–32 का पालन किये बिना एवं साक्ष्य पर गम्भीरता से बगैर विचार किये आदेश पारित करने की भूल की है । रामसिंह का नामांतरण किये जाने के पूर्व आवेदक को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है ।	

तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 115/32 कर आवेदन अस्वीकार करने की भूल की है ।

4/ अनावेदक क्र0 1 की ओर से जगदीश श्रीवास्तव एवं अनावेदक क्र0 5 की ओर से एस0पी0 धाकड़ उपस्थित। उन्होंने अपने तर्क में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित किये गये आ श विधि सम्मत है । हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। अतः निगरानी निरस्त की जावे ।

5/ मैं ने उभयपक्ष के अभिभाषकगणों के तर्कों पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अध्ययन किया । अभिलेखों के अध्ययन उपरांत स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 115/32 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम बछौरा की भूमि सर्वे क्र0 209/268 एवं 542 रकबा 4.620 है0 पर अपना नाम इस आधार पर अंकित किये जाने की मांग की गई कि आलोच्य भूमि पर उसके पिता के समय से लगभग 70 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है और पिता की मृत्यु के बाद भी उसका कब्जा बरकरार है। इतनी लम्बी अवधि के कब्जे के बारे में आवेदक द्वारा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है । निरंतर 70 वर्ष का कब्जा मात्र मौखिक कहने से नहीं माना जा सकता है । साथ में यह भी प्रमाणित करना होगा कि कब्जा किन शर्तों पर और कितनी अवधि के लिये प्राप्त हुआ है । अभिलेखों से यह तथ्य भी प्रकट है कि आलोच्य भूमि पर भूमि स्वामी बलुआ के स्थान पर वारिसान के आधार पर नामांतरण किया जा चुका है और तत्पश्चात विक्रय पत्र के आधार पर क्रेतागण के हक में भी नामांतरण हो चुका है । ऐसी स्थिति में बगैर पूर्व के नामांतरण आदेशों को चुनौती देये उनके अंतिम होने के कारण मात्र संहिता की धारा 115/32 के अन्तर्गत अभिलेखों में नाम अंकित कराने की मांग का कोई औचित्य नहीं है । आवेदक को आवेदन पत्र संहिता की धारा 115 के अन्तर्गत संशोधन की कार्यवाही स्वप्रेरण से की जाती है न कि किसी आवेदन के आधार पर । आवेदक का आवेदन पत्र

तहसील न्यायायल ने अस्वीकार किया । अनुविभागीय अधिकारी ने भी अस्वीकार कर तहसील न्यायालय की पुष्टि की है । अपर आयुक्त ने भी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य आदेश यथावत रखा है, तथ्य आवेदक के द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त का आदेश विधिक प्रक्रिया के अनुकूल है, क्योंकि म0प्र0 भू0–राजस्व संहिता की धारा–109(2) उत्तराधिकार–संहिता की धारा 164 के अनुसार किसी भूमिस्वामी का हित उसकी मृत्यु हो जाने पर उसकी स्वीय विधि के अधीन रहते हुए यथास्थिति दाय, उत्तरजीवित या वसीयत द्वारा न्यागमित होगा । इस प्रश्न का विनिश्चय उस स्वीय विधि के अनुसार होगा जो भूमिस्वामी की मृत्यु के दिन प्रभावशील हो । इसी प्रकार संहिता की धारा 110 के अंतर्गत क्षेत्र पुस्तक तथा अन्य सुसंगत भू–अभिलेखों में अधिकार अर्जन बावत नामांतरण किया जा सकता है । पटवारी अधिकार के प्रत्येक ऐसे अर्जन को, जिसकी रिपोर्ट उसे धारा 109 के अधीन की गई हो या ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त प्रज्ञापना पर से उसकी जानकारी में आए, उसे रजिस्टर में दर्ज करेगा, जो कि उस प्रयोजन के लिये विहित किया गया है ।

7/ उपरोक्त व्याख्या के आलोक में प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य